धारा 6 : कर से छूट प्रदान करने की शक्ति

(1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया या तो आत्यंतिक रूप से या ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के माल या सेवा या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कर या उसके भाग से, ऐसी तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) जहां सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर प्रत्येक मामले पर विशेष आदेश द्वारा, उस आदेश में कथन की जाने वाली किन्हीं आपवादिक परिस्थितियों में किसी भी माल या सेवा या दोनों पर, जिस पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी।

(3) सरकार, यदि उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश के क्षेत्र या लागू होने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है, तो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने या उपधारा (2) के अधीन आदेश के एक वर्ष के भीतर किसी भी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या आदेश में कोई स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसा प्रत्येक स्पष्टीकरण इस प्रकार प्रभावी होगा, मानो वह सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों की बाबत् उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण कर या उसके भाग से आत्यंतिक रूप से छूट प्रदान की गई है, वहां ऐसे माल या सेवा या दोनों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवा या दोनों ऐसी की पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर संगृहीत नहीं करेगा।